न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी– दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 61/2025 दायर दिनांक 01.05.2025

उनवान

1. मोहनलाल पुत्र कालू जाति दांगी नि. तुमड़ियाखेड़ी तहसील पिड़ावा

प्रार्थी

बनाम

1. फुलचन्द पुत्र भैरू जाति दांगी नि. तुमड़ियाखेड़ी तहसील पिड़ावा
2. कन्हैयालाल पुत्र गुलाब जाति दांगी नि. तुमड़ियाखेड़ी तहसील पिड़ावा
3. राधेश्याम पुत्र नारायण जाति दांगी नि. तुमड़ियाखेड़ी तहसील पिड़ावा
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पिड़ावा

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'क' आर0टी0एक्ट0

उपस्थिति विद्वान अभिभाषकगण :–

अभिभाषक प्रार्थी – श्री सुभाष दांगी
अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 से. 3 – एकतरफा
अप्रार्थी सं. 4 – पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनाक: 26.09.2025

पत्रावली पेश हुई। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि नकल जमाबन्दी ग्राम तुमड़ियाखेड़ी पटवार हल्का बोरखेड़ी, तहसील पिड़ावा में प्रार्थी की सहखातेदारी की आराजी खाता न. 112 खसरा न. 310 रकबा 1. 3279 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी की बहिनों के केवल नाम भी खाते में दर्ज है लेकिन उक्त पूरी भूमि को प्रार्थी ही काश्त करता आ रहा है। नकल जमाबन्दी व नक्शा साथ सलग्न है। यह कि ग्राम तुमड़ियाखेड़ी की भूमि खसरा न. 310 में काश्त करने हेतु [illegible] आदि लाने ले जाने का पुराना रास्ता ग्राम तुमड़िया[illegible] न. 579/327 से होकर नहर के पास [illegible] मेड पर होकर आगे खसरा न. 409/310 की दक्षिणी मेड पर होकर रास्ता मौजूद रहा है जिससे प्रार्थी के खेत खसरा न. 310 मे आते–जाते फसल

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:41:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

(4)

लाते काश्त करते है। लेकिन खसरा न. 409/310 के खातेदार अप्रार्थी 2 ने उक्त खेत अप्रार्थी को बैचान करने से अप्रार्थी के खसरा न. 409/310 की दक्षिणी मेड पर प्रार्थी के रास्ते में तार खम्बे लगाकर प्रार्थी का अपने खेत पर टेक्टर, बैल गाडी, सामन्द, फसल लाने ले जाने का पुराना रास्ता जबरन अवरूध कर बन्द कर दिया है। तथा अप्रार्थी 1 व उसके पुत्र ने भी प्रार्थी को निकलने आने–जाने से मना कर दिया है. जिस कारण प्रार्थी को अपने खेत खसरा न. 310 में काश्त करने में भारी परेशानी हो रही है प्रार्थी का खेत पडत रहने की नोबत आ गयी है। यह कि प्रार्थी का उक्त रास्ते के अलावा अपनी आराजी खसरा न. 310 पर आने जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है। अप्रार्थीगण ने जोर जबरदस्ती ताकत के बल पर प्रार्थी के खेत के रास्ते मे तार खम्बे लगाकर कांटे डालकर प्रार्थी के खेत का रास्ता अवरूध कर बन्द कर दिया है, जबकि उक्त रास्ते से प्रार्थी अपनी कृषि कई सालो से करते चले आ रहे है जिस रास्ते को अप्रार्थीगण ने ताकत के बल पर बन्द कर दिया है प्रार्थी के खेत का इस रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। यह कि प्रार्थी की आराजी पर आने जाने का रेकार्ड में कोई रास्ता दर्ज नहीं है ओर मौके पर भी कोई रास्ता मौजूद नहीं है। जबकि प्रार्थी के खेत खसरा न. 310 का ही हिस्सा भाग खसरा नं. 409/310 रहा है यानि खसरा न. 310 से हि 409/310 बना है जिसकी दक्षिणी मेड पर होकर पुराना रास्ता मौजूद रहा है, जिस रास्ते में अप्रार्थी 3 ने जबरदस्ती तार खम्बे लगाकर रास्ता अवरूप कर दिया है। यह कि उक्त रास्ते के संबध में प्रार्थी को अत्यन्त आवश्यकता है यह जोत के केवल सुविधाजनक उपयोग के लिए नहीं है अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के खेत खसरा नं. 310 का रास्ता अवरूद्ध करने से प्रार्थी को अपने खेत पर काश्त हेतु आने–जाने में भारी परेशानी हो रही है। यह कि प्रार्थी को भी अपनी आराजी खसरा न. 310 वाके तुमडियाखेडी पर आने–जाने के लिए अप्रार्थी के खेत खसरा न. 599/458 की उत्तरी मेड पर व अपार्थी 2, 3 के खेत खसरा न. 409/310 की दक्षिणी मेड पर होकर 12 फीट चौडाई के रास्ते की आवश्यकता है जो प्रार्थी के खेत खसरा न. 310 वाके तुमचियाखेडी पर टेक्टर, कृषि उपकरण, फसल लाने ले जाने के लिए आवश्यक है। यह कि प्रार्थी रास्ते के बदले में भूमि या प्रतिकर के रूप में निर्धारित मुआवजा राशी नियमानुसार भुगतान करने के

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:41:51 IST
Reason: Self Attested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

(5)

लिए तैयार है। यह कि प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार, क्षेत्राधिकार मे उचित न्याय शुल्क पर अवधि मध्य पेश है। अत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी ग्राम तुमडियाखेडी पटवार हल्का बोरखेडी तहसील पिडावा की भूमि खसरा न. 310 पर आने–जाने टेक्टर, कृषि औजार ले जाने का अप्रार्थी के खेत खसरा न. 599/458 की उत्तरी मेड व खसरा न. 409/310 की दक्षिणी मेड पर होकर 12 फीट चौडाई का रास्ता स्वीकत किया जाकर रास्ता भूमि को राजस्व अभिलेख नक्शे मे रास्ता अभिलिखित करने व रास्ते का अवरोध तार खम्बा हटाने का आदेश प्रदान करें। तथा अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जावे कि वे प्रार्थी के उक्त रास्ते मे किसी प्रकार का अवरोध पैदा नही करे, लडाई झगडा नही करे। अन्य न्यायोचित सहायता जो भी माननीय न्यायालय उचित समझे प्रार्थी को दिलाने की कृपा करें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थी सं. 1 से 3 के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से मुताबकि आदेशिका दिनांक 16.06.2025 व दिनांक 29.07.2025 से अप्रार्थी सं. 1 से 3 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

3. अप्रार्थी सं. 4 पैरोकार सरकार तहसीलदार पिडावा से मौका रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार पिडावा द्वारा अपने पत्र कमांक/राजस्व/2025/359 दिनांक 27.06.2025 से जांच रिपोर्ट पेश की जो निम्नानुसार है– मौका निरीक्षण अनुसार राजस्व रिकार्ड में रास्ता कायम नहीं है किन्तु ख.नं. 408/406 व 409/310 में होकर ख.नं. 599/458, 314 की लगवा मेड से रास्ता कायम किया जा सकता है। ख.नं. 408/406 रकबा 0.6323 है. खातेदार जानीबाई पत्नि स्व. छीतर जाति दांगी व ख.नं. 409/310 रकबा 0. 5059 है. खातेदार कन्हैयालाल पि. गुलाब जाति दांगी नि. तुमडियाखेडी के नाम दर्ज है। ख.नं. 408/406 व 409/310 व 599/458 व 314 की बीच मेड से ख.नं. 408/406, 409/310 में से रास्ता कायम किया जाना उचित होगा जिसका नजरी नक्शा जांच रिपोर्ट में अंकित है।

ख.नं.	लम्बाई	चौडाई	रास्ता रकबा
408/406	165 फीट	[illegible]	[illegible]
409/310	240 फीट	12 फीट	0.0279 है

कुल रकबा 0.0468 है.

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:41:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

(6)

4. प्रार्थी की ओर से ग्राम तुमडियाखेडी तहसील पिडावा का खाता सं. 112, 186, 71, 119, 29 की जमाबंदी सं. 2072–75, खसरा नक्शा दिनांक 16.04.2025 व दिनांक 26.03.2025 पेश किये।

5. अभिभाषक प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया और निवेदन किया कि ग्राम तुमडियाखेडी तहसील पिडावा में स्थित प्रार्थी के खातेदारी व कब्जे की आराजी ख.नं. 310 तक पहुँच हेतु कोई रिकार्डेड रास्ता नहीं है। प्रार्थी अपने भूमि तक पहुँचने के लिए ग्राम तुमडियाखेडी की अप्रार्थी सं. 1 की आराजी ख.नं. 599/458 की उत्तरी मेड व अप्रार्थी सं. 2 व 3 की आराजी ख.नं. 409/310 की दक्षिणी मेड पर होकर व्यवस्तार्थ आया जाया करते थे लेकिन अप्रार्थीगण द्वारा उक्त अस्थाई रास्ते को बंद कर दिये जाने से वर्तमान में प्रार्थी की भूमि पर पहुँच हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता भी नहीं होने भूमि पडत पडी हुई है जिससे प्रार्थी के लिए भरण पोषण की दिक्कते उत्पन्न हो रही है। तहसीलदार पिडावा द्वारा भी अपनी मौका रिपोर्ट दिनांक 27.06.2025 में भी प्रार्थी की आराजी तक कृषि कार्य हेतु कृषि उपकरण यथा ट्रेक्टर, थ्रेशर, हल, फसल कटाई मशीन आदि लाने ले जाने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। अतः रास्ता प्रार्थी की नितान्त आवश्यकता है। प्रार्थी सुविधा के लिए रास्ता नहीं ले रहे है। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा आगे तर्क किया गया कि अप्रार्थी सं. 1 से 3 द्वारा बावजूद सूचना न्यायालय से अनुपस्थित रहने और अपने समर्थन में कोई भी जवाब/साक्ष्य/बहस पेश नहीं करने से यह तथ्य प्रथम दृष्टया निर्विवादित है कि वादग्रस्त आराजी पर पहुँच हेतु कोई रिकार्डेड एवं वैकल्पिक रास्ता नहीं है।

अभिभाषक प्रार्थी ने आगे कथन किया कि प्रार्थी अप्रार्थीगण की निजी भूमि से दिए जाने वाले रास्ते की [illegible] भूमि या प्रतिकर के रूप में डीएलसी की दुगु[illegible] करने के लिए तत्पर है। अतः प्रा[illegible] अपनी आराजी ख.नं. 310 तक कृषि उपकरण लाने ले जाने [illegible] अप्रार्थी सं. 1 की आराजी ख.नं. 599/458 की उत्तरी मेड व अप्रार्थी सं. 2 व 3 की आराजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:41:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

ख.नं. 409/310 की दक्षिणी मेड पर 12 फीट चौडा नया रास्ता प्रदान किया जावे। (7)

6. पेरोकार सरकार जरिये तहसीलदार पिडावा द्वारा बहस के दौरान कथन किया गया कि प्रार्थी के ख.न. 310 तक पहुंचने हेतु कोई रिकॉर्डेड सरकारी रास्ता नहीं है। प्रार्थी के कब्जे एवं सहखाते की आराजी पर आने जाने का कोई निश्चित रास्ता कायम नहीं है और प्रार्थी का कृषि कार्य हेतु रास्ते की अति आवश्यकता है। प्रार्थी को उसकी आराजी तक पहूँच हेतु लघुत्तम रास्ता ख.नं. 408/406 व 409/310 की दक्षिण मेड से होकर दिया जा सकता है। न्यायालय चाहे तो ख.नं. 599/458 की उत्तरी मेड के सहारे भी रास्ता दिया जा सकता है।

7. अभिभाषक प्रार्थी की बहस एवं पेरोकार सरकार की जांच रिपोर्ट के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। धारा 251 क आर.टी.एक्ट. के तहत नये रास्ता दिये जाने से पूर्व निम्न शर्तो के पालना जरूरी है:–

(i) <u>रिकार्डेड पहूँच मार्ग</u> –प्रार्थी एवं पेरोकार सरकार दोनो इस कथन पर सहमत है कि प्रार्थी की भूमि ख.नं. ख.न. 310 तक पहूँच हेतु राजस्व रिकार्ड में कोइ भी पहूँच मार्ग दर्ज नहीं है। ग्राम तुमडियाखेडी तहसील पिडावा के नजरी नक्शे के अवलोकन से सावित है कि प्रार्थी की भूमि पर पहूँच हेतु कोई भी रिकार्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं है। अतः साबित है कि प्रार्थी की भूमि तक पहूँच हेतु कोई रिकार्डेड रास्ता नहीं है।

(ii) <u>वैकल्पिक रास्ता होना</u> – अभिभाषक प्रार्थी का कथन है कि उसकी आराजी पर पहूँच हेतु कोई भी वैकल्पिक प्रचलित रास्ता उपलब्ध नहीं है। तहसीलदार पिडावा द्वारा अपनी मौका रिपोर्ट दिनांक 27.06.2025 में प्रार्थी की आराजी तक पहूँच हेतु रास्ता नहीं होना बताया है। अतः साबित है कि प्रार्थी की भूमि तक पहूँच हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है।

(iii) <u>रास्ते की अति आवश्यकता होना</u>– उपरोक्त विवेचन बिन्दु सं. 1 व 2 के विवेचन एवं विश्लेषण से यह साबित है कि प्रार्थी की आराजी तक पहूँच हेतु कोई राजस्व रिकार्ड में दर्ज रास्ता नहीं है और कोई वैकल्पिक रास्ता भी वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। यह सही है कि प्रत्येक काश्तकार को अपने

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:41:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

खेत में फसल काश्त हेतु आने जाने व कृषि उपकरण ले जाने के लिए रास्ते की आवश्यकता होती है। रास्ते के अभाव में या किसी व्यक्ति द्वारा रास्ते को अवरुद्ध कर दिये जाने से आराजी के पड़त रहने से काश्तकार के लिए भरण पोषण का प्रश्न उत्पन्न हो सकता है और इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए विधायिका द्वारा एक्ट में धारा 251 ए जोडी गई है। तहसीलदार द्वारा बहस के दौरान कथन किया गया कि आवेदित रास्ते के अलावा और कोई विकल्प नहीं होने से प्रार्थी को रास्ता दिया जाना अति आवश्यक है। किसी व्यक्ति/खातेदार के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने पर भी नये रास्ते की मांग करने को ही सुविधा के लिए रास्ता मांगना माना जावेगा। अतः साबित होता है कि प्रार्थी को अपने खेत पर आने जाने व कृषि उपकरण ले जाने के लिए रिकार्डेड रास्ते की आवश्यकता है।

(iv) लघुतम रास्ता होना:— पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, खसरा नक्शा के अवलोकन एवं पैरोकार सरकार तहसीलदार पिडावा द्वारा पेश मौका रिपोर्ट दिनांक 27.06.2025 से जाहिर है कि लघुतम रास्ता ख.नं. 408/406 की दक्षिण मेड के सहारे होते हुए 165 फीट लम्बाई तथा ख.नं. 409/310 की दक्षिण मेड के सहारे होते हुए 240 फीट लम्बाई है। लेकिन अभिभाषक प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी वर्षो से कार्य व्यवस्तार्थ ख.नं. 599/458 की उत्तरी मेड से होकर बने अस्थाई रास्ते से गुजरता आ रहा है। अतः इसी अस्थाई रास्ते को स्थाई रास्ते के रूप में दर्ज किया जावे।

(v) डी0एल0सी0 की दुगनी दरों से क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान:—प्रार्थी अपनी आराजी ख.नं. 310 तक पहुंच हेतु अप्रार्थीगण की भूमि ख.नं. 599/458 से होकर करीब 220 लंबा एवं 10 फीट चौडे यानि 2200 वर्ग फीट भूमि का डीएलसी की दुगनी दर से भुगतान करने हेतु सहमत है। इसी प्रकार ख.नं. 409/310 के दक्षिण पश्चिम किनारे पर 25 फीट लंबा व 10 फीट चौडा यानि करीब 250 वर्ग फीट भूमि के बदले में भूमि देने पर सहमत है। अतः रास्ते के उपयोग में [illegible] भूमि ख. नं. 599/458 से 2200 वर्ग फीट की [illegible] दर क्षतिपूर्ति राशि तथा अप्रार्थी सं. 2 [illegible] की 250 वर्ग फीट की क्षतिपूर्ति के रूप में प्रार्थी की भूमि ख.[illegible]310 से 250 वर्ग फीट भूमि दिया जाना उचित होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:41:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

8 उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण तथा तहसीलदार पिड़ावा की मौका रिपोर्ट व मजरी नक्शा दिनांक 27.06.2025 के अनुसार ग्राम सुमडियाखेडी तहसील पिड़ावा की प्रार्थी की भूमि ख.नं. 310 तक पहुँच हेतु नया रास्ते के संबंध में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.एक्ट. न्यायहित में आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

–:क्रियात्मक आदेश:–

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर.टी.एक्ट, आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। ग्राम सुमडियाखेडी तहसील पिड़ावा की प्रार्थी की भूमि ख.नं. 310 तक पहुँच हेतु नया रास्ते हेतु अप्रार्थी सं. 1 के ख.नं. 599/458 से रास्ते में आने वाली 220 X 10 = 2200 वर्ग फीट अर्थात 205 वर्ग मीटर भूमि की नवीनतम डीएलसी की दुगुनी दरो से क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान अप्रार्थी सं. 1 को किये जाने तथा ख.नं. 409/310 को क्षतिपूर्ति के रूप में 250 वर्ग फीट भूमि दिये जाने पर नवीन रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। रास्ते के खसरा का प्रथम नम्बर दिया जाकर रास्ते का उपयोग सार्वजनिक प्रयोजनार्थ किया जावेगा। तहसीलदार पिड़ावा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।

निर्णय आज दिनांक 26.09.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा, आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:41:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner